<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-313/15 संस्थित दिनांक- 15/10/15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. दीपक पुत्र बृजभान सिंह यादव आयू—20 साल
- 2. बृजभान सिंह पुत्र देशराज सिंह यादव आयु– 43 साल
- 3. विजय दीप पुत्र अर्जुन सिंह यादव आयु– 24 साल
- 4. आराम सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र सिरनाम सिंह आयु— 51 साल सभी निवासीगण ग्राम मीठाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 07.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 323/34, 324, 324/34, 506 भाग—दो के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.10.2015 को रात 05:00 बजे ग्राम मीठाखेडी में लोक स्थान पर फरियादी सिरदार सिह को मा बहन की अश्लील गालिया उच्चारिक कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा मिलकर फरियादी सिरदार सिंह व आहत लक्ष्मण को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सिरदार सिह को धारदार हथियार कुल्हाडी से एवं आहत लक्ष्मण को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की व सिरदार सिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.15 को प्रीतम सिंह के खेत में टैक्टर वाला थ्रेसिंग कर रहा था फरियादी ने उससे अपने खेत में थ्रेसिंग करने के लिये कहा और अपने घर पांच लीटर डीजल लाकर उसके टैक्टर में डाल दिया और टैक्टर को ले जाकर अपने खेत के पास खड़ा करके जब वह बागड हटा रहा था तो अभियुक्त दीपक ने टैक्टर स्टार्ट करके अपने खेत पर ले जाने लगा तो फरियादी ने कहा कि टैक्टर में डीजल मैने डाला है मेरे सोयाबीन की थ्रेसिंग हो जाने दो तो दीपक व उसका पिता बृजभान चाचा आराम सिंह व लडका विजयदीप उसे मां बहन की

गालिया देने और कहने लगे कि पहले हमारे खेत की थ्रेसिंग होगी। जब फरियादी ने टैक्टर दौडाने का प्रयास किया तो उसे टैक्टर के बंम्पर से गिरा दिया और उसके साथ लाठी डंडे व कुल्हाडी से मारपीट की। दीपक और विजय दीप के हाथ में कुल्हाडी थी तथा आराम सिंह व बृजभान के हाथ में लाठिया थी। जिससे मारपीट की थी। घटना के समय फरियादी का भाई लक्ष्मण सिंह व अन्य लोग आ गये थे। चारों अभियुक्तगण कह रहे थे कि मेढ पर निकला तो जान से खत्म कर देगे । फरियादी ने अपने चाचा राजाराम के साथ पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—406/13. अंतर्गत धारा—...294, 323, 324, 506 बी, 34 भाठदठविठ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—07.03.17. को फरियादी सिरदार सिंह व आहत लक्ष्मण के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा—294, 323, 323/34, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—. 324, 324/34 .शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 02.10.15 को शामं करीबन 5 बजे किशोर यादव के खेत ग्राम मीठाखेडी में फरियादी सिरदार सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एव उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार कुल्हाडी से सिरदार सिंह की मारपीट कर एवं टैक्टर के बम्पर से टक्कर मार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - 2. | दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी सिरदार सिंह अ0सा0—2 व लक्ष्मण अ0सा0—1 के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी सिंरदार सिंह अ0सा0—2 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना को ढेड साल पहले की होकर शाम 05:00 बजे की है। फरियादी के अनुसार उस समय खेतों में कटाई चल रही थी। फरियादी खेत से थ्रेसिंग का कार्य

करके अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे अभियुक्त दीपक मिला था, जिसके परिवार से उसका पूर्व का जमीनी विवाद था। फरियादी का कहना है कि दीपक के साथ अभियुक्त आराम सिंह, बृजभान व विजयदीप भी थे जिन्होंने उसे मां बहन की गालिया दी थी तथा मौके पर उनका मुंहवाद हो गया था। फरियादी के अनुसार इसके बाद गांव वालों के समझाने पर आरोपीगण चले गये थे और वह थाने पर रिपोर्ट करने आ गया था।

- 07— फरियादी सिरदार सिंह अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना पूर्व के जमीनी विवाद के कारण रास्ते की होना बताया है जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार टैक्टर से थ्रेसिंग कराने के विवाद को लेकर आरोपीगण का फरियादी से विवाद हुआ था। फरियादी घटना में केवल मुंहवाद होना बताता है तथा फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में कोइ कथन नही दिये कि अभियुक्तगण ने उसके साथ घटना दिनांक को मारपीट की थी। अतः फरियादी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—2 से मेल नही खाते जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—2 से नही होती है।
- 08— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण एवं अभियोजन कहानी के विरूद्ध कथन देने से फरियादी सिरदार सिंह अ0सा0 2 को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर फरियादी का विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु फरियादी ने अपने संपूर्ण परीक्षण में अभियोजन का आरोपित अपराध के संबंध में लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी ने अपने परीक्षण में अभियोजन की ओर से दिये गये सुझाव की घटना थ्रेसिंग के विवाद पर से हुई थी एवं इसी पर से आरोपीगण ने फरियादी को टैक्टर के बम्पर से गिरा दिया था और उसके साथ लाठी डंडा व कुल्हाडी से मारपीट की थी, का स्पष्ट रूप से खण्डन करते हुये यह कथन दिये है कि ऐसी कोई घटना हुई और न ही उसने पुलिस को प्र0पी 2 में ऐसी कोई घटना लेख कराई। फरियादी सिरदार सिंह का अभियोजन के विरूद्ध यह कहना है कि उसका आरोपीगण से मात्र मुंहवाद हुआ था फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने न तो उसके साथ कोई मारपीट की और न ही घटना में उसे कोई चोट आई।
- 09— घटना के अन्य साक्षी फरियादी सिरदार सिहं अ0सा0—2 के भाई लक्ष्मण अ0सा0—1 अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार करता है तथा अपने सामने कोई घटना न होना बताता है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी के द्वारा भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये गये। लक्ष्मण अ0सा0—1 अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही उसके भाई के साथ कोई मारपीट की। इस साक्षी के अनुसार उसके भाई ने उसे केवल मुंहवाद की घटना बताई थी जबिक अभियोजन के अनुसार यह साक्षी घटना में आहत भी है।
- 10— लक्ष्मण अ0सा0 1 व सिरदार सिंह अ0सा0 2 के न्यायालीन कथनों से साक्ष्य के अभाव में एवं इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना दिनांक को खेत में थ्रेसिंग

कराने के विवाद पर से अभियुक्तगण व फरियादी का विवाद हुआ था उक्त विवाद में अभियुक्तगण ने फरियादी सिरदार सिंह के साथ मारपीट की कोई घटना कारित की। फरियादी सिरदार सिंह जो कि घटना में स्वयं आहत होकर उसी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 लेखबद्ध कराई गई है। अपने न्यायालीन कथनों में मारपीट के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट उसके द्वारा लेखबद्ध कराइ गई इस बात से इन्कार करता है तथा स्वयं फरियादी के अनुसार घटना में मारपीट नहीं हुई थी केवल मुंहवाद हुआ था।

- 11— अतः साक्ष्य के अभाव में एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देने से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 02. 10.15 को शामं करीबन 5 बजे किशोर यादव के खेत ग्राम मीठाखेडी में फरियादी सिरदार सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एव उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार कुल्हाडी से सिरदार सिंह की मारपीट कर एवं टैक्टर के बम्पर से टक्कर मार कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी।
- 12— फलस्वरूप अभियुक्तगण दीपक पुत्र बृजभान सिंह यादव, बृजभान सिंह पुत्र देशराज सिंह यादव, विजय दीप पुत्र अर्जुन सिंह यादव, आराम सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र सिरनाम सिंह के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण दीपक पुत्र बृजभान सिंह यादव, बृजभान सिंह पुत्र देशराज सिंह यादव, विजय दीप पुत्र अर्जुन सिंह यादव, आराम सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र सिरनाम सिंह को भा०दं०वि० की धारा— 324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— <u>अभियुक्तगण दीपक पुत्र बृजभान सिंह यादव, बृजभान सिंह पुत्र देशराज सिंह यादव, विजय दीप पुत्र अर्जुन सिंह यादव, आराम सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र सिरनाम सिंह के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।</u>

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)